



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092026-276603
CG-DL-E-29092026-276603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4957]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4957]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026.

का.आ. 5163(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में NH275 के कि.मी. 99.500 से कि.मी.223.860 (मैसूरु-मडिकेरी) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्लो & का मैसूरु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे

सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में NH275 के कि.मी. 99.500 से कि.मी.223.860 (मैसूरु-मडिकेरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: मांड्या		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: श्रीरंगपट्टन					
गांव का नाम: बी.अग्रहारा					
1	62/1	निजी	कमर्शियल	355 (वर्ग मीटर)	0.0355
2	62/2	निजी	कमर्शियल	1156 (वर्ग मीटर)	0.1156
3	62/3	निजी	कमर्शियल	625 (वर्ग मीटर)	0.0625
गांव का नाम: पलाहल्ली					
4	7	निजी	रेसिडेंशियल	78 (वर्ग मीटर)	0.0078
गांव का नाम: अव्वराहल्ली (बे)					
5	104/2	निजी	एग्रीकल्चर	50 (वर्ग मीटर)	0.005
6	95	सामान्य	एग्रीकल्चर	401 (वर्ग मीटर)	0.0401
7	96/2	निजी	एग्रीकल्चर	25 (वर्ग मीटर)	0.0025
8	97/2	निजी	एग्रीकल्चर	275 (वर्ग मीटर)	0.0275
9	97/5	निजी	एग्रीकल्चर	225 (वर्ग मीटर)	0.0225
गांव का नाम: मज्जिगेपुरा					
10	109	निजी	एग्रीकल्चर	60 (वर्ग मीटर)	0.006
गांव का नाम: बलमुरि (बी)					
11	53	निजी	एग्रीकल्चर	775 (वर्ग मीटर)	0.0775
गांव का नाम: कैम्पलिंगापुरा (बी)					
12	85/7	निजी	एग्रीकल्चर	125 (वर्ग मीटर)	0.0125
13	85/8	निजी	एग्रीकल्चर	16 (वर्ग मीटर)	0.0016

14	89/2	निजी	एग्रीकल्चर	225 (वर्ग मीटर)	0.0225
15	89/4	निजी	एग्रीकल्चर	245 (वर्ग मीटर)	0.0245
16	90/2	निजी	एग्रीकल्चर	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
गांव का नाम: बेलगोला					
17	114/1	निजी	एग्रीकल्चर	250 (वर्ग मीटर)	0.025
18	474	निजी	एग्रीकल्चर	325 (वर्ग मीटर)	0.0325
19	494	निजी	एग्रीकल्चर	75 (वर्ग मीटर)	0.0075
20	505	निजी	एग्रीकल्चर	81 (वर्ग मीटर)	0.0081
21	712/1	निजी	एग्रीकल्चर	125 (वर्ग मीटर)	0.0125
Total					0.5567

[फा. सं. NHAI/PIU-RMNG/14011/2018-19/NH-275/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026.

S.O. 5163(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH275 in the stretch of land from Km 99.500 to Km 223.860 (Mysuru-Madikeri section) in the district of MANDYA in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in this News Paper, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Special Land Acquisition Officer & Competent Authority Mysuru with office at No. 984, 1st Floor, Geetha Road, Chamarajapuram Mysuru- 570005, (Phone No: 0821-2333666) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km 99.500 to Km 223.860 (Mysuru-Madikeri section) of NH275 in the district of MANDYA in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: MANDYA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shrirangapattana					
Village: B.Agrahara					
1	62/1	Private	Commercial	355 (Square Meter)	0.0355
2	62/2	Private	Commercial	1156 (Square Meter)	0.1156
3	62/3	Private	Commercial	625 (Square Meter)	0.0625
Village: Palahalli					
4	7	Private	Residential	78 (Square Meter)	0.0078
Village: Avverahalli (Be)					
5	104/2	Private	Agriculture	50 (Square Meter)	0.005
6	95	Common	Agriculture	401 (Square Meter)	0.0401
7	96/2	Private	Agriculture	25 (Square Meter)	0.0025
8	97/2	Private	Agriculture	275 (Square Meter)	0.0275
9	97/5	Private	Agriculture	225 (Square Meter)	0.0225
Village: Majjigepura					
10	109	Private	Agriculture	60 (Square Meter)	0.006
Village: Balamuri (Be)					
11	53	Private	Agriculture	775 (Square Meter)	0.0775
Village: Kempalingapura (Be)					
12	85/7	Private	Agriculture	125 (Square Meter)	0.0125
13	85/8	Private	Agriculture	16 (Square Meter)	0.0016
14	89/2	Private	Agriculture	225 (Square Meter)	0.0225
15	89/4	Private	Agriculture	245 (Square Meter)	0.0245
16	90/2	Private	Agriculture	75 (Square Meter)	0.0075
Village: Belagola					
17	114/1	Private	Agriculture	250 (Square Meter)	0.025
18	474	Private	Agriculture	325 (Square Meter)	0.0325
19	494	Private	Agriculture	75 (Square Meter)	0.0075
20	505	Private	Agriculture	81 (Square Meter)	0.0081
21	712/1	Private	Agriculture	125 (Square Meter)	0.0125
Total					0.5567

[F. No. NHAI/PIU-RMNG/14011/2018-19/NH-275/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director